न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 90/2014 **दायरा दिनांक : 30.04.2014**

उनवान

भैरूलाल आत्मज किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– सुगना बाई बेवा गोरधन, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– हेमराज पुत्र गोरधन, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– धर्मराज आत्मज गोरधन, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– घीसी बाई पुत्री किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– धापू बाई पुत्री किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– प्रभूलाल आत्मज भवाना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– मथुरालाल पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– राजस्थान सरकारक जरिये तहसीलदार अकलेरा

9– व्यवस्थापक एस बी बी जे शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेन्द्र जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 124/दावा/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी 10 बीघा 6 बिस्वा एवं 23 बीघा 6 बिस्वा के बारे में रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 3 का वाद क्रमशः 1/4 भाग एवं 1/2 भाग हिस्सा आराजी के बारे में डिक्री कर पृथक दर्ज कर करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 3 का वाद रिकार्ड एवं साक्ष्य के विपरीत पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी का समुचित विवेचन नहीं किया है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम बिना आधार के खारिज कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 3 द्वारा कभी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है, जो अवैधानिक है । विवादित आराजी के मामले में खातेदार मूल्या ने अपने जीवनकाल में अपीलांट को वसीयत कर दी थी, परन्तु इस बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया एवं समुचित साक्ष्य का विवेचन भी नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

समुचित तनकीयात भी कायम नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के वादिनी कम 4 का कायम मुकामान वादी नम्बर 1 लगायत 3 को मान लिया है, जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में अनुसूचित जनजाति के प्रावधानों पर भी गौर नहीं किया, जो अवैधानिक है । विवादित आराजी में रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 का कोई हक व अधिकार नहीं बनता एवं वादिनी धूली बाई फौत हो चुकी है इसलिए उसको अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.04.2014 निरस्त की जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम डिक्री फरमाया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट सुगना बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया । विवादित आराजी ग्राम गादिया जयमल, तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या 125 हिस्सा 1/2 एवं खसरा नम्बर 126 हिस्सा 1/4 वादीगण के पृथक खाते दर्ज करने के आदेश दिये । अपीलांट भैरूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में काउंटर क्लेम पेश किया, जो खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पक्षकारान का सजरा बना हुआ है जिसमें मूल्या ला औलाद फौत हुआ है जिसके हिस्से का विवाद काउंटर क्लेम में लिखा हुआ है । मीणा जाति में पुत्र मौजूद है । वादग्रस्त आराजी पुत्रियों के नाम नहीं आयेगी । प्रतिवादी नम्बर 2, 3 का नाम भी है । सुगना का गलत नाम आया प्रारम्भिक डिक्री गलत दर्ज हुई है । सजरा के मुताबिक पक्षकार नहीं बनाये । वकील द्वारा दस्तावेजात को एक्जीविट नहीं करवाया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2014 (2) पेज 881 नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी गादिया जयमल तहसील अकलेरा खाता संख्या 126 5 किता की 10 बीघा 6 बिस्वा प्रदर्श सम्वत 2062–2063 तक रेस्पोडेंट का 1/4 हिस्सा दर्ज है । खाता संख्या 125 की 7 किता की 23 बीघा 6 बिस्वा आराजी दर्ज है । नकल प्रदर्श 2 सम्वत 2062–2065 तक पेश की है इसमें रेस्पोडेंट का 1/2 हिस्सा दर्ज है । इसमें धूलीबाई जो कालू लाल की बेवा थी उसकी मृत्यु हो चुकी है और रेस्पोडेंट क्रम 1, 2, 3 ही उसके कायम मुकामान हैं । तनकी नम्बर 1 रेकार्ड से शहादत से रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत की गई है जो सही है । तनकी नम्बर 2 में कहा कि सभी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया लेकिन अपने जवाब में यह अंकित नहीं किया कि किसे पक्षकार नहीं बनाया गया कथन को सिद्ध करने में असफल तनकी प्रतिवादी के खिलाफ फैसल । तनकी नम्बर 3 में इनका कहना है कि विवादित आराजी में 1/5 भाग आराजी का खातेदार मूल्या ने अपने जीवनकाल में भैरू वल्द किशना को पुत्र मानकर मौखिक रूप से वसीयत कर दी थी इसे भी प्रतिवादी सिद्ध नहीं कर पाया है । वादीगण का वाद डिक्री किया और प्रतिवादी 1 भैरू का काउंटर क्लेम खारिज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय रेकार्ड, साक्ष्य के आधार पर सही व सत्य है । अपील की मद नम्बर 2 अपीलांट ने कहा कि रेस्पोडेंट वादीगण के पक्ष में जो निर्णय किया है वह त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय में काउंटर क्लेम पेश किया उसमें कहा कि नामान्तरकरण संख्या 142 सभी सहखातेदारान के नाम 26.12.82 को तस्दीक कर दिया जो बेअसर है । 38 वर्षों का समय इंतकाल की अपील करने का, दावा करने का आपके पास था आपने कार्यवाही क्यों नहीं की । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा तनकीवार विवेचन कर मुताबिक रेकार्ड के निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04.2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

भैरूलाल आत्मज किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

..... **अपीलांट**

बनाम

1– सुगना बाई बेवा गोरधन, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
2– हेमराज पुत्र गोरधन, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
3– धर्मराज आत्मज गोरधन, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
4– घीसी बाई पुत्री किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
5– धापू बाई पुत्री किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
6– प्रभूलाल आत्मज भवाना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
7– मथुरालाल पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
8– राजस्थान सरकार ; जरिये तहसीलदार अकलेरा
9– व्यवस्थापक एस बी बी जे शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 90/2014 एवं नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा
मु.द.नं 124/दावा/2007 निर्णय अंतिम डिकी दिनांक – 02–04–2014

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 22 माह 09 सन् 2020

हाजरी **श्री सी पी खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री महेन्द्र जैन** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 02.04.2014 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 29 माह 09 सन् 2020 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.